न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 365/17 ((RCMS No. 2017/00387) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. निर्मल कुमार पुत्र हजारी लाल जाति वैरवा निवासी गणेश नगर ग्राम रावटा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती रूकमणी वैरवा पत्नि बृजमोहन जाति वैरवा गॉव कुन्डेरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती सावित्री वैरवा पुत्री आर.एस. गोठवाल पत्नि अमृत लाल जाति वैरवा निवासी ग्राम फलोदी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. हरीश वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा जाति रैगर निवासी फुलवाडिया सदन वजरिया सवाई माधोपुर
5. अमृत लाल पुत्र रतन लाल जाति वैरवा निवासी वजरिया सवाई माधोपुर
6. मदन लाल पुत्र रामनाथ जाति रैगर निवासी नया पठाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. मुरारी लाल पुत्र रामनिवास जाति रैगर निवासी नया पठाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....**अपीलान्टान**

बनाम

1. केसरदवी वेवा धन्ना लाल | जाति वैरवा निवासी ठीगला तहसील व जिला
2. सन्तरा पुत्री धन्ना लाल | सवाई माधोपुर

.....**असल रैस्पो0**

3. देवी लाल | पिसरान धन्ना लाल जाति वैरवा निवासी ठीगला तहसील व जिला
4. दुर्गालाल | सवाई माधोपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.....**तरतीवी रैस्पो0**

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 19.09.2011 नामा0 सं0 420 दिनांक 04.04.86 वॉके ग्राम ठीगला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह वकील अपीलान्टान
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांक :— 21.11.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाई माधोपुर ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 420 धन्ना पुत्र रामा वैरवा के स्थान पर देवीलाल दुर्गालाल पिसरान धन्ना बैरवा के नाम दर्ज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 केसर देवी वेवा धन्ना लाल व सन्तरा पुत्री धन्ना लाल वैरवा ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि अपीलान्टान मृतक धन्ना लाल की विधिक वारिसान है। विरासत के आधार पर मृतक के नाम की आराजी पर उनके हित निहित है। अधीनस्थ न्ययालय ने विधिक वारिसान की जॉच किये बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण आदेश निरस्त कर दिया तथा नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों ने लिखित बहस पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में अंकित किया है कि धन्ना नामक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद विरासत नामा0 सं0 420 दिनांक 04.04.86 को पुत्रगण देवी लाल व दुर्गा लाल के नाम स्वीकार किया गया। उक्त नामा0 के बाद दोनों भाईयों के मध्य विभाजन हो गया। विभाजन के अनुसार ख0 नं0 223मिन रकवा 65 एयर व 275मि रकवा 99 एयर देवीलाल के हिस्से में आये तथा ख0 नं0 223/1 मिन रकवा 64 एयर व 275 मिन रकवा 1 हैक्टे0 दुर्गालाल के हिस्से में आये। विभाजन के अनुसार राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज संख्या 394 दिनांक 23.02.06 को स्वीकार होकर अमल हो गया। देवीलाल व दुर्गालाल ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कार्यवाही कर धारा 90बी एलआर एक्ट तहत दिनांक 25.04.06 को स्वीकार करा ली। उक्त कार्यवाही के बाद दुर्गालाल ने अपने हिस्सा के ख0 नं0 223/1 में से 29 प्लाट बनाये जिसमें से कुछ प्लाट अपीलान्ट को हस्तान्तरण कर दिये। राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया। उक्त हस्तान्तरण के बाद मृतक धन्ना की पुत्री संतरा व विधवा केसर ने विरासतन दाखिल खारिज संख्या 420 दिनांक 04.04.86 के विरूद्ध जिला कलक्टर के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज था। अपील में सिर्फ अपने भाईयों को पक्षकार बनाया जो जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ। जिला कलक्टर ने एकतरफा में अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार ने भी अपीलान्ट को कोई नोटिस न देते हुऐ नामा0 संख्या 676 दिनांक 12.0.2012 को स्वीकार कर लिया। उक्त दोनों आदेश विधि व रिकार्ड के विपरीत है। उन्होंने बहस में यह भी अंकित किया है कि जिला कलक्टर के समक्ष रैस्पो0 ने मियाद बाहर अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय परित नही किया है। जबकि मैरिट से पूर्व मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना चाहिये। विरासत दाखिल खारिज के बाद विभाजन हो गया। जिसका भी नामा0 दर्ज होकर अलग अलग खाता खुलने पर अलग अलग प्लाटिंग कर प्लाटों को विक्रय कर दिया तथा आराजी पर केतागणों का कब्जा है मौके पर अपीलान्ट के मकान बने हुऐ हैं रिहायस हो रही है। अपीलान्ट एक सद्भावी केता है, को पक्षकार नही बनाया है ,न ही सुनने का अवसर दिया है। उनका तर्क है कि रैस्पो0 ने अपने अधिकार तय करने हेतु नियमित वाद संख्या 22/08 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 30.03.2012 को खारिज हो चुका

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज की सूक्ष्म कार्यवाही में रैस्पो0 के अधिकार तय नही किये जा सकते हैं। रैस्पो0 ने बहस में यह एतराज उठाया है कि आदेश जिला कलक्टर दिनांक 19.09.2011 को एक अपील उनवानी उमेश कुमार बनाम केसरदेवी न्यायालय हाजा से खारिज हो गयी। इस संबंध में निवेदन है कि इस अपील में प्रार्थीगण पक्षकार नही थे इसलिये यह आदेश प्रभावी नही है। उक्त आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल में जेरकार है। रैस्पो0 ने विभाजन के नामा0 सं0 394 व 90 बी होने के बाद दर्ज नामा0 की कोई अपील नही की है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्ययालय का निर्णय व नामा सं0 676 निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित आराजी मृतक धन्नालाल पुत्र रामा जाति वैरवा के नाम दर्ज थी। धन्ना की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 420 दिनांक 04.04.86 से रैस्पो0 सं0 3 व 4 के नाम दर्ज हो गया। जबकि मृतक के विधिक वारिसान वेवा केसर देवी व पुत्री सन्तरा के नाम का इन्द्राज नही किया गया। केसरदेवी व सन्तरा ने नामा0 सं0 420 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो स्वीकार की जाकर नामा0 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक धन्ना के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से नामा0 दर्ज करें। तहसीलदार ने न्यायालय की पालना में पुनः केसरदेवी पत्नि धन्ना, सन्तरा पुत्री धन्ना लाल देवी लाल दुर्गालाल पुत्र धन्ना के नाम दिनांक 12.03.2012 को नामा0 सं0 676 दर्ज कर दिया। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध अपील संख्या 94/12 उनवानी उमेश कुमार वगैरा बनाम केसर देवी वगैरा के नाम से श्रीमान् के न्यायालय में की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 16.04.2013 को हो गया था। उनका तर्क है कि जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 19.0.2011 की पालना तहसीलदार द्वारा की जा चुकी है इसलिये विचाराधीन अपील प्राथमिक स्टेज पर निरस्त की जावे। विवादित आराजी ख0 नं0 223 व 223/1 में अपीलान्ट के किसी प्रकार के हित निहित नही हैं। यदि उन्हें कोई अधिकार पैदा होता है तो सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः अपीलान्ट की अपील श्रीमान् के न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.04.2013 के आधार पर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खातेदार धन्ना लाल के फौत होने पर विरासत का नामा0 सं0 420 दिनांक 04.04.1986 उसके वारिस दो पुत्र देवीलाल दुर्गालाल पिसरान धन्ना बैरवा के नाम तहसीलदार सवाई माधोपुर ने दर्ज किया था। इस आदेश के विरूद्ध मृतक धन्ना लाल की वेवा केसर देवी वेवा धन्ना लाल व सन्तरा पुत्री धन्ना लाल वैरवा ने देवीलाल व दुर्गालाल पिसरान धन्ना लाल के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण आदेश निरस्त कर दिया तथा नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील संख्या 94/12 उनवानी उमेश कुमार वगैरहा बनाम केसर देवी वगैरहा पेश की थी जो दिनांक 16.04.2013 को उभय पक्ष को

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुनकर खारिज हो गयी थी। इसलिये इस न्यायालय में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील भी चलने योग्य नही रहती है। जहॉ तक नामान्तरकरण संख्या 420 का प्रश्न है, मृतक धन्ना लाल के विरासत में उसकी विधवा केसरदेवी व पुत्री सन्तरा का भी कानूनन अधिकार है जिन्हें पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 420 जो विरासतन दर्ज किया गया था उसमें वारिसान नही बनाया था। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने वेवा व पुत्री को विधिक वारिसान मानते हुऐ पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के लिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया था। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर ने निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकयता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.09.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त भरतपुर
भरतपुर संभाग, भरतपुर